

//पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल //

क्रमांक/पुमु/1/रापुसे/5/ 369 /2026/

दिनांक 23/04/26

प्रति,

समस्त पुलिस इकाईयां,
(पुलिस मुख्यालय सहित)
मध्यप्रदेश

विषय:- "मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2025" के अनुपालन में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के विभिन्न प्रकार के अवकाशों की स्वीकृतियों के संबंध में।

--0--

कृपया विषयांतर्गत "मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2025" के अनुपालन में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के विभिन्न प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति के अधिकारों के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रसारित किये जाते हैं-

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप सेनानी स्तर के संवर्ग के लिये

स क्र	अवकाश का प्रकार	अवधि	स्वीकृति हेतु सक्षम
01	अर्जित अवकाश/ संतान पालन अवकाश	120 दिवस तक 120 दिवस से अधिक	अति०म०नि०-प्रशासन म०प्र० शासन (गृह विभाग)
02	अर्धवेतन/लघुकृत /अदेय अवकाश	90 दिवस तक 90 दिवस से अधिक	अति०म०नि०-प्रशासन म०प्र० शासन (गृह विभाग)
03	प्रसूति अवकाश	180 दिवस	अति०म०नि०-प्रशासन
04	गर्भपात अवकाश	45 दिवस	अति०म०नि०-प्रशासन
05	दत्तक संतान ग्रहण (महिला)	70 दिवस	अति०म०नि०-प्रशासन
06	पितृत्व अवकाश/दत्तक संतान ग्रहण (पुरुष)	15 दिवस	अति०म०नि०-प्रशासन
07	अध्ययन अवकाश /असाधारण / विशेष निर्योग्यता अवकाश	--	म०प्र० शासन (गृह विभाग)

निरंतर.....2

उप पुलिस अधीक्षक/सहायक सेनानी स्तर के संवर्ग के लिये

स क्र	अवकाश का प्रकार	अवधि	स्वीकृति हेतु सक्षम
01	अर्जित अवकाश/ संतान पालन अवकाश	90 दिवस तक	रैंज पुलिस महानिरीक्षक
		120 दिवस तक	अति०म०नि०-प्रशासन
		120 दिवस से अधिक	म०प्र० शासन (गृह विभाग)
02	अर्धवेतन/लघुकृत अवकाश/अदेय	90 दिवस तक	रैंज पुलिस महानिरीक्षक
		90 दिवस से अधिक	म०प्र० शासन (गृह विभाग)
03	प्रसूति अवकाश	180 दिवस	अति०म०नि०-प्रशासन
04	गर्भपात अवकाश	45 दिवस	रैंज पुलिस महानिरीक्षक
05	दत्तक संतान ग्रहण (महिला)	70 दिवस	रैंज पुलिस महानिरीक्षक
06	पितृत्व अवकाश/दत्तक संतान ग्रहण (पुरुष)	15 दिवस	रैंज पुलिस महानिरीक्षक
07	अध्ययन अवकाश /असाधारण / विशेष निर्योग्यता अवकाश	--	म०प्र० शासन (गृह विभाग)

नोट:- 1- पुलिस मुख्यालय, भोपाल के परिपत्र क्र०/पुमु/1/रापुसे/5/954/2018 दिनांक 12/04/2018 द्वारा जारी दिशा निर्देश यथावत रहेंगे।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक(प्रशासन)
हेतु- पुलिस महानिदेशक म०प्र०
पुलिस मुख्यालय भोपाल
दिनांक

क्रमांक/पु०मु० 1/रापुसे/5/ /2026/
प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय भोपाल।
3. समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय भोपाल।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक, जोन/रैंज/विसबल /रेल्वे/दूरसंचार मध्यप्रदेश।
5. निज सहायक पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल।

Digitally signed by
Anurag Sujania
सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन)
हेतु- पुलिस महानिदेशक म०प्र०
पुलिस मुख्यालय भोपाल